

तारीखरजू:- 18.6.21

38 / 2021

उनवान:- अमरसिंह बनाम धारु वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

21

प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में सायलान को प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख० न० 1572/0.45 है० ग्राम मातासूला तहसील टोडाभीम जिला करौली में आगामी पेशी दिनांक 01.07.2021 तक सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा नहीं करे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार टोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अन्तरिम विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 01.07.2021 को पेश हो।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

3000-04
18/6/21

24.6.21

प्रार्थी अमरसिंह एवं प्रार्थी वकील ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रकरण को खारिज करना चाहते हैं, आगामी सुनवाई तिथि से पत्रावली का मुकदमा खारिज कर दिया जावे। पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील ने Not-Press कर रखा कि प्रार्थी अतः यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा Not-Press से खारिज किया जाता है। पत्रावली के सप्तशुमार होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

Not-Press
मेखारिज
दिनांक 1
अमरसिंह

g d
85
24/6/21

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजण अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली